

# केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)

के.सं.विवि.ज./प्रशा./2020-21/166

दिनांक : 29.06.2020

## परिपत्र

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29.06.2020 के अनुसार सक्षम अधिकारी के निर्देश पर वार्षिक/सत्रार्द्ध परीक्षा के संबंध में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य हित में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं : -

1. सम्पूर्ण देश वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है, इसलिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंधित समस्त परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विद्यालयों की पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य कक्षाओं की वार्षिक एवं सत्रार्द्ध परीक्षाओं का आयोजन करना छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य हित में नहीं होगा। अतः शास्त्री अंतिम वर्ष, आचार्य अंतिम वर्ष, शि.शा. अंतिम वर्ष और शिक्षाचार्य अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाओं को निरस्त कर परीक्षा परिणाम इस वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जायेगा।
2. पूर्व निर्धारित परीक्षा नियमावली में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित हैं, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए आंतरिक मूल्यांकन के उक्त 20 अंकों को 100 अंक में परिवर्तित कर निम्न चार बिन्दुओं के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन होगा : -

क.	कक्षा परीक्षा/प्रदत्त कार्य	-	25 अंक
ख.	गोष्ठी/परियोजना प्रतिभागिता	-	25 अंक
ग.	पुस्तकालय संबंधित कार्य	-	25 अंक
घ.	कक्षा में उपस्थिति	-	25 अंक
3. उक्त चार बिन्दुओं के आधार पर तत्संबद्ध विषय प्राध्यापक आंतरिक मूल्यांकन करके निदेशक/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष को सौंपेंगे, तत्पश्चात् संबंधित निदेशक/प्राचार्य द्वारा गठित स्थानीय परामर्श समिति की अनुशंसा के उपरान्त निर्धारित प्रोफार्मा में सत्यापित अंकसूची मुख्यालय में दिनांक 15.07.2020 के पूर्व प्रेषित करनी होगी।
4. शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य प्रथम वर्ष का परिणाम भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा।
5. समस्त परिसरों/महाविद्यालयों/विद्यालयों से प्राप्तांकों को मुख्यालय में गठित विशेष परीक्षा समिति की अनुशंसा उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।
6. परीक्षा परिणाम की उद्घोषणा के उपरांत यदि किसी छात्र/छात्रा को प्राप्तांकों/परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने की दशा में आगामी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पृथक से आवेदन करने पर अवसर दिया जायेगा।

(प्रो. अर्कनाथ चौधरी)  
निदेशक

प्रतिलिपि : -

1. परीक्षा नियंत्रक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
3. प्रशासन विभाग।
4. नोटिस बोर्ड।
5. कार्यालय आदेश।
6. संबंधित सचिका।

7. परिसर वेबसाइट